इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2021—माघ 19, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2021

क्र. एफ 01-02-2020-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 और धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिनका उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में,—

(1) उप-नियम (1) में, शब्द ''प्ररूप 4 में से दो प्रति'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, के अधिकारिक वेब पोर्टल (www.labour.mp.gov.in) पर उपलब्ध ऑनलाइन प्ररूप 4'' स्थापित किए जाए.

(2) उप-नियम (1) में, शब्द ''नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित फीस की रकम'' के स्थान पर शब्द ''आवेदन अनुसार ऐसे केलेण्डर वर्षों के रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कुल फीस की रकम'' स्थापित किए जाए.

(3) उप-नियम (2) में, शब्द ''कारखाने का रजिस्ट्रेशन करके प्ररूप 3 में'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''कारखाने का रजिस्ट्रीकरण करके दस या अधिक वर्षों जैसा की राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऑनलाइन प्ररूप 3 में'' स्थापित किए जाए.

No. F. 01-02-2021-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, the same having been previously published as required by Section 115 of the said Act namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6,—

(1) In sub rule (1), for the words and figure "Form No. 4, in duplicate", the words "online form no. 4 available on official portal of the Labour Department, Government of Madhya Pradesh (www.labour. mp. gov.in)" shall be substituted.

(2) In sub rule (1), for the words "amount of fee as specified in the Schedule below", the words "total amount of fees as for such calendar years as applicable for such registration" shall be substituted.

(3) In sub rule (2) the words and figure "register the factory and grant a licence in form no. 3", the words and figure "register the factory and grant a licence online in form no. 3 for ten years or more as may be precribed by the State Government", shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.